(GCF–11 & 12, CA FOUNDATION GD & PD)

DATE: 23.02.2021 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3 Hours

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या एक पंजीकृत फर्म के (जिसके व्यापार को उसके एक साझेदार की मृत्यु के पश्चात समापन के पश्चात जारी रखा जाता है) शेष साझेदारों द्वारा, उस स्थिति के पश्चात् किये गये व्यवहार अथवा सौदों के सम्बन्ध में, फर्म के पंजीयक को फर्म की संरचना में परिवर्तन के विषय में सूचित किये बिना, मुकदमा किया जा सकता है, शेष साझेदारों द्वारा कथित रूप से बाद में किये गये व्यवहार अथवा सौदों के विषय में मुकदमा किया जा सकता है, शेष को दोबारा उसके कथित समापन के पश्चात् पंजीकृत नहीं किया गया था ओर उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था और उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था। **{2 M}**

इन समस्त मामलों में जो परीक्षण लागू किया गया था वह यह था कि क्या वादी ने दो आवश्यकताओं को पूर्ण किया था :–

(i) मुकदमा उस फर्म के द्वारा अथवा उसके आधार पर किया गया हो जो, पंजीकृत की गई थी

(ii) जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया है, उसे फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दिखाया गया था। **{2 M}**

उत्तर :– अतः हम कह सकते है कि :–

इस मामलें में B और C के द्वारा X के विरूद्ध मुकदमा किया जा सकता है।

अब उपरोक्त उदाहरण में यदि 1972 में B और C ने एक साझेदार D को शामिल कर लिया था और उसके पश्चात् X के विरूद्ध बिना पंजीकरण कराये मुकदमा किया था।

उत्तर :–

इस मामलें में पहली शर्त संतुष्ट हुई है पर दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वाद प्रस्तुत किया था, उसका नाम रजिस्ट्रार के फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में प्रदर्शित नहीं था। **{2 M}**

Answer:

(b) निम्नलिखित परिस्थितियों में शर्त भंग होने के कारण भी अनुबन्ध का परित्याग नहीं किया जा सकता।

(i) जब क्रेता किसी शर्त का अनुपालन बिल्कुल छोड़ देता है, तब एक पक्ष अपने लाभ के लिए उक्त बन्धन का परित्याग कर सकता है,

(ii) जब क्रेता शर्त को भंग करने की स्थिति को आश्वासन की स्थिति के रूप में मानने का चुनाव करता है अर्थात् वह अनुबन्ध को रद्द करने क स्थान पर मात्र हर्जाने का दावा करता है, अथवा

(iii) जब अनुबन्ध विभाजन योग्य नहीं है और क्रेता ने या तो समस्त माल को स्वीकार कर लिया है अथवा उसके भाग को स्वीकार किया है।

(iv) जब किसी शर्त अथवा आश्वासन को पूरा किये जाने में कानून के द्वारा असम्भावना अथवा अन्यथा के कारण छूट दे सकते हैं। **{1 M for each 4 points}**

Answer:

(c) इस मामले में वैध अनुबध उत्पन्न हो गया, जैसे ही J ने रू. एक वाले 3 सिक्के प्लेटफॉर्म मशीन में डाले, यह मशीन के मालिक द्वारा J को गर्भित प्रस्ताव की स्वीकृति माना जायेगा। **{2 M}**

Answer 2:

(a) निस्तार तथा समापन

(WINDING UP AND DISSOLUTION)

निस्तार तथा समापन (Winding Up and Dissolution) (धारा 63) – एक LLP का समापन स्वैच्छिक तौर पर या ट्रिब्युनल द्वारा हो सकता है, तथा इस प्रकार समाप्त हुई LLP समाप्त हो सकती है। **{1/2 M}**

Mittal Commerce Classes

परिस्थितियॉं जिनमें LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समाप्त किया जा सकता है (Circumstances in which LLP may be wound Up by Tribunal) (धारा 64) – एक LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समाप्त किया जा सकता है –

(अ) यदि LLP निर्णय लेती है कि LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समापन कर दिया जाये,

(ब) यदि, 6 माह से अधिक अवधि के लिए, LLP के साझेदारों की संख्या 2 से नीचे तक घट जाती है,

(स) यदि LLP अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हों,

(द) यदि LLP ने भारत की अखण्डता तथा स्वायत्ता, देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों के विरूद्ध काम किया है।

(ई) यदि LLP किसी पॉंच निरन्तर वित्तीय वर्षो के लिए वार्षिक रिटर्न या खाता तथा शोधन क्षमता का विवरण रजिस्ट्रार के पास फाईल करने में भूल पर रही है, या

(फ) यदि ट्रिब्युनल का ऐसा मत है कि यह न्यायोचित तथा समतापूर्ण होगा कि LLP का समापन कर दिया जाये।

{1 M for each 5 points}

समापन तथा निस्तार के लिए नियम (Rules for Winding Up and Dissolution) (धारा 65) – केन्द्रीय सरकार LLP के निस्तार तथा समापन के लिये नियम एवं उपबंध बना सकती है। **{1/2 M}**

Answer:

(b) गारण्टी कम्पनी से अभिप्राय (Meaning of Gurantee Company):– जब यह प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी को सीमित दायित्व के साथ पंजीकृत करवाया जाये तो यह विकल्प उपलब्ध होता है कि कम्पनी को या तो अंश पूॅंजी के आधार पर या गारण्टी के आधार पर पंजीकृत करवाया जाये। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) के अनुसार गारण्टी कम्पनी को उस कम्पनी के रूप में ऐसे परिभाषित करती है– ''ऐसी कम्पनी जो अपने पार्षद सीमानियम द्वारा कम्पनी के समापन के समय उस राशि को देने के लिए सहमत होते है जिसकी वह गारण्टी करते है। इस प्रकार गारण्टी कम्पनी के सदस्यों की देयता उनके द्वारा की गयी गारण्टी राशि तक ही सीमित होती है जोकि पार्षद सीमा नियम में दी गयी होती है। उन सदस्यों से उनके द्वारा गारण्टी की राशि से अधिक की मांग नही की जा सकती है कम्पनी के अर्न्तनियम मे ंउन सदस्यों की संख्या दी जाती है जो उस कम्पनी का पंजीकरण करवाना चाहते है। **{1 M}**

गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूॅंजी आधारित कम्पनी में समानताऍं तथा भिन्नताऍं (Similarities and dis-similarities between the Guranantee company and the company baving share capital):– गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूॅंजी आधारित कम्पनी में जो सामान्य गुण होता है वह है दोनों कम्पनियों का वैधानिक दायित्व तथा सीमित दायित्व का होना अंशपूॅंजी आधारित कम्पनी के अंशधारक सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूॅंजी के भुगतान तक ही सीमित होता है दोनों को यह तथ्य अपने पार्षद सीमा नियम में स्पष्ट रूप से लिखना होता है, लेकिन दोनों कम्पनियों में जो भिन्नता होती है वह मुख्य रूप में निम्न रूप से होती है। **{1 M}**

गारण्टी कम्पनी के सदस्यों को अपनी देयता को केवल उस समय करना होता है जब कम्पनी का विघटन हो रहा हो और उन सदस्यों को उनके द्वारा की गारण्टी राशि का भुगतान उस विघटन के समय देना होता है जोकि उन सदस्यों का दायित्व होता है पर अंश पूॅंजी आधारित कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी के जीवन काल में कभी भी उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूॅंजी को देने के लिए कहा जा सकता है या ऐसा तब किया जा सकता है जब कम्पनी का विघटन किया जा रहा हो। **{2 M}**

इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने नरेन्द्र कुमार अग्रवाल बनाम सरोज मालू (1995) 6 एस.सी. 114 में यह निर्धारित किया है कि किसी गारण्टी कम्पनी द्वारा किसी सदस्य द्वारा उसके हित के हस्तान्तरित करने से मना करना अंश पूॅंजी आधारित कम्पनी के सदस्य द्वारा अपने हित का हस्तान्तरण से बिल्कुल भिन्न होता है गारण्टी कम्पनी की सदस्यता से मिलने वाले लाभ–हित किसी साधारण अंश पूॅंजी धारक को मिलने वाले लाभ हितों से बिल्कुल भिन्न होते है और गारण्टी कम्पनी की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वह कम्पनी ने अपने सदस्यों से कोई पूॅंजी नहीं उगाही है इसलिए ऐसी कम्पनी वहीं पर उपयोगी हो सकती है जहॉं पर कार्यशीलता कोष की आवश्यकता नहीं होती है और यह धनराशि अन्य साधन जैसे कोई न्यायसीधन, फीस, प्रभार, दान से उगाही जा सकती है। **{2 M}**

Mittal Commerce Classes

Answer 3:

(a) जब कोई कम्पनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है तो वह व्यर्थ और शून्य माना जाता है और वह कम्पनी पर लागू नहीं किया जा सकता। {2 M}

उपरोक्त नियम ध्यान में रखते हुए मुद्रा लिमिटेड केवल उतना ही ऋण वापिस मांग सकती है जितना ऋण लेने का अधिकार रवि कम्पनी के पार्षद सीमा नियम में लिखा है। {$1^{1/2}$ M}

रचनात्मक सूचना का सिद्धान्त कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी कम्पनी के साथ अनुबन्ध करने से पहले उसके सार्वजनिक दस्तावेज पढ़ लेने चाहिए। {$1^{1/2}$ M}

Answer:

(b) क्रेता सावधान रहें (CAVEAT EMPTOR)

वस्तु विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत इस नियम का अर्थ है 'क्रेता सावधान रहें'। जब विक्रेता बाजार मे अपना माल दिखाता है तो यह क्रेता की जिम्मेदारी है कि वह अपने माल का सही चयन करे। यदि इसके बाद वह माल खराब निकलता है, तब क्रेता विक्रेता को अपने गलत चयन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। विक्रेता के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपने माल की अशुद्धियाँ सार्वजनिक करें।

यह खरीदार का ही कर्तव्य है कि वह सामान खरीदने से पहले यह संतुष्टि कर ले कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सामान खरीद रहा है, वह उसके उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं। यदि सामान या वस्तुएं दोषपूर्ण निकलती हैं या उसके उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती हैं या वह केवल अपने हुनर या निर्णय पर ही निर्भर रहता है, तो खरीदार विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।

'क्रेता सावधान रहे' (Caveat Emptor) का नियम वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 16 में रखा गया है जो कहता है कि, ''इस अधिनियम या तत्कालीन प्रचलित किसी सन्नियम के अन्तर्गत, वस्तु विक्रय के एक अनुबंध के अंतर्गत किसी उद्‌देश्य विशेष के लिए गुणवत्ता या उपयुक्तता के प्रति कोई गर्भित आश्वासन या शर्त नहीं होता।''

निम्नलिखित शर्तो को पूरा किया जाना होता है–

– यदि क्रेता ने अपने क्रय के उद्‌देश्य को विक्रेता को स्पष्टतः बता दिया है।
– क्रेता ने विक्रेता के चातुर्य तथा निर्णयन पर भरोसा किया है, तथा
– उस विवेचन का माल सप्लाई करने का विक्रेता का व्यवसाय है। (धारा 16)

{1 M}

अपवाद (Exceptions) : वैसे 'क्रेता सावधान रहें' का सिद्धान्त निम्न अपवादों से ग्रस्त है –

(i) उपयोग के अनुकूल – जब विक्रेता उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के प्रकार का निर्माता अथवा व्यापारी है और क्रेता ने उसे विशिष्ट उद्देश्य हेतु उसे माल चाहिए उसको सूचित कर दिया है और विक्रेता की निपुणता तथा निर्णय पर विश्वास किया है तब यह एक गर्भित शर्त है कि माल सामान्यतः उस तात्पर्य के लिए उचित है जिसके लिए उनकी आवश्यकता है। (धारा–16(1))।

उदाहरण : एक पहाड़ी देश में भारी ट्रैफिक के लिए काम लाने हेतु कुछ ट्रक खरीदने का ऑर्डर दिया गया। विक्रेता द्वारा सप्लाई किये गये ट्रक इस उद्देश्य के लिए अनफिट थे। उपयुक्तता के प्रति यह शर्त विखण्डन का मामला बनता है।

Priest vs. Last मामले में,

'P' नामक एक ड्रेपर ने रिटेल कैमिस्ट से एक गर्म पानी की बोतल खरीदी। P ने कैमिस्ट से पूछा कि क्या यह उबलते पानी को सहन कर लेगी। कैमिस्ट ने उसे बताया कि बोतल बनाई ही गर्म पानी के लिए है। जब उसमें गरम पानी डाला गया तो बोतल फट गई तथा उसकी पत्नी घायल हो गई। निर्णय दिया गया कि कैमिस्ट 'P' को हर्जाना चुकाने के लिए दायी होगा क्योंकि वह जानता था कि बोतल को 'हॉट वाटर बोतल' के रूप में प्रयोग करने के उद्‌देश्य हेतु खरीदा गया था।

जहॉ वस्तु को किसी एक विशेष उद्‌देश्य के लिए ही काम लाया जा सकता है तो क्रेता को उद्‌देश्य बताने की विक्रेता को आवश्यकता नहीं है जिसके लिए उसको माल की आवश्यकता थी। लेकिन जहॉ वस्तु को अनेक उदद्‌देश्यों के लिए काम लाया जा सकता है वहॉ क्रेता को विक्रेता के समक्ष वह उद्‌देश्य बताना चाहिये जिसके लिए उसे माल की आवश्यकता है यदि वह विक्रेता को उत्तरदायी बनाना चाहता है।

Bombay Burma Trading Corporation Ltd. vs. Aga Muhammad मामले में, लकड़ी को रेलवे स्लीपर्स के रूप में प्रयोग करने के स्पष्ट उद्‌देश्यार्थ खरीदा गया तथा जब यह पाया गया कि यह उस उद्‌देश्य के लिए एकदम अनपयुक्त है तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबन्ध को त्यागा जा सकता था।

{1 M for each correct 6 points}

(ii) जब कोई माल उसके पेटेंट नाम या ब्राण्ड नाम – जब कोई माल उसके 'पेटंट नेम' या ब्राण्ड नेम के अन्तर्गत खरीदा जाता है तो ऐसी कोई गर्भित शर्त नहीं होती कि वस्तु विक्रय योग्य है। (धारा 16(1))।
उदाहरण : रेफ्रिजरेटर्स की विक्रय में, वस्तु का नाम ही अपने आप में बताता है कि विक्रेता आश्वासन देता है कि उद्देश्य विशेष के लिए मशीन उपयुक्त है।

(iii) वस्तु वर्णन द्वारा बेची जाती है – जब कोई वर्णन द्वारा वस्तु बेची जाती है तब यह गर्भित शर्त होती है कि वस्तु विक्रय योग्य है। (धारा 15)।

(iv) वस्तु की विक्रय योग्यता – जब वर्णन द्वारा वस्तु किसी ऐसे विक्रेता से खरीदी जाती है जो उन्हें प्रायः बेचता है। तब यह गर्भित शर्त होती है कि वस्तु विक्रय योग्य है, परन्तु यह प्रावधान वहॉ लागू नहीं होता जहॉ माल की अशुधियॉ प्रत्यक्ष जॉच से जाहिर होती हों तथा क्रेता ने माल की जॉच–पड़ताल करी हो। (धारा 16(2))

(v) नमूने द्वारा बिक्री – जब वस्तुएँ नमूने के माध्यम से खरीदी जाएँ उस स्थिति में यह अधिनियम लागू नहीं होता अगर माल भेजे हुए नमूने से मेल नहीं खाता। (धारा 17)।

(vi) वस्तुएॅ नमूने एवं वर्णन के माध्यम – जब वस्तुएँ नमूने के माध्यम के साथ–साथ वर्णन द्वारा खरीदी जाएँ उस स्थिति में यह अधिनियम लागू नहीं होता अगर माल भेजे हुए नमूने तथा वर्णन से मेल नहीं खाता। (धारा 15)।

(vii) व्यापार में चल रही प्रथा – किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु माल के गुण तथा उपयुक्तता से सम्बन्धित गर्भित शर्तें एवं आश्वासन उस व्यापार में चल रही प्रथा द्वारा तय की जाती हैं और यदि विक्रेता उनमें चूक करें तो ''क्रेता सावधान रहे (Caveat Emptor)" का सिद्धान्त लागू नहीं होगा। (धारा 16)(3))।
उदाहरण : रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसाय में, व्यापार की रीतियों के द्वारा इस बात की गर्भित शर्त रहती है कि गारमैन्ट्स क्रेता पर उचित तौर पर फिट होंगे।

(viii) जब विक्रेता दोष को छुपाता है – जब विक्रेता ने माल के सम्बन्ध में कोई झूठा प्रतिनिधित्व या कपट किया है और क्रेता ने उस पर विश्वास किया है। या जब विक्रेता ने जानबूझ कर किसी दोष को छिपाया है जो माल के सामान्य निरीक्षण पर स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होता तो ''क्रेता सावधान रहे (Caveat Emptor)" लागू नहीं होगा। इन सब मामलों में क्रेता अनुबन्ध को भंग कर सकता है तथा हर्जाना माँग सकता है।

Answer 4:

(a) वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार जब, कोई वस्तु क्रेता को ''विक्रय या वापसी'' के आधार पर दी जाती है तो विक्रय निम्न दशाओं में मान लिया जाता है।
(1) क्रेता क्रय के लिए अपनी सहमती दे दे।
(2) वह उचित समय बीत जाने के बाद भी माल पुनः ना लौटाये।
(3) कोई ऐसा कार्य करे जो यह दर्शता हो, उसने माल स्वीकार कर लिया है जैसे गिरवी, निक्षेप आदि।
{3 M}

उपरोक्त मामले में जोशी ने जैसी ही कार श्री गणेश को गिरवी रखी, वह कारके मालिक बन गए और अब प्रीति कार वापिस नहीं मांग सकती, हालाकि प्रीति को अधिकार है कि वह कार की कीमत जोशी से प्राप्त करें। {3 M}

Answer:

(b) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार अवयस्क से संबंधित निम्न प्रावधान है :–

- अवयस्क को वयस्क होने के 6 माह के भीतर या उसको इस बात की जानकारी होने कि उसको साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया है, जो भी तिथि बाद में आये, अवयस्क साझेदार को यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह एक साझेदार रहेगा या फर्म को छोड़ेगा। यदि वह ऐसा नोटिस देने में भूल करता है, तो वह उक्त 6 माह के बीतने के बाद फर्म का एक साझेदार बन जायेगा।
- वह साझेदारी के लाभों में शामिल किये जाने के बाद किये गये फर्म के सभी कार्यो के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत तौर पर दायी हो जाता है।
- यदि वह साझेदार नहीं बनने का चयन करता है, तो उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे एक अवयस्क के रूप में रहे है। उसका भाग नोटिस की तिथि के बाद किये गये फर्म के किसी भी कार्य के लिए दायी नहीं होगा।

{3 M}

Mittal Commerce Classes

1. दिये गये मामले में मि. X सार्वजनिक सूचना देने में असफल रहा है, इसलिये वह M/s ABC and Co. भी साझेदार बन जायेगा, वह तृतीय पक्षकार मि. L के प्रति व्यक्तिगत् रूप से जिम्मेदार माना जायेगा। {$1^{1/2}$ M}
2. उपयुक्त वैधानिक प्रावधान के अनुसार मि. X 6 महीने में यह सार्वजनिक सूचना देने में असफल रहे हैं कि वह साझेदार बनना चाहते हैं अथवा नहीं, इसलिये 6 महीने बीत जाने के बाद मि. X को स्वतः ही साझेदार मान लिया जायेगा, और मि. L ऋण की राशि उससे उसी प्रकार वसूल कर सकते हैं, जैसे किसी अन्य साझेदार से वसूल कर सकते हैं । {$1^{1/2}$ M}

Answer 5:

(a) जब एक या एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त वचन देते है तो वचनग्रहीता (विपरीत करार न होने की दशा में) ऐसे किसी एक अथवा एक से अधिक वचनदाताओं को सारा अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसी दशा में अनुबंध का निष्पादन करने वाले संयुक्त वचनदाता अन्य संयुक्त वचनदाताओं से अंशदान की मांग कर सकते है। (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 43) यदि एक अथवा एक से अधिक संयुक्त वचनदाता असफल रहते है तो बाकी के संयुक्त वचनदाता इस कारण से होने वाली हानि को बराबर–बराबर सहन करेंगे। अतः इस प्रश्न में A प्राप्त करने का अधिकारी हैः {3 M}

(1) C की सम्पत्तियों में से रू. 10,000 (1/5, रू.10,000का) तथा C का अंशदान रू.50,000 (1/3, रू. 1,50,000 का)

(2) B से रू. 70,000[रू. 50,000 अपना स्वयं का भाग + 1/2 (रू. 50,000 – रू. 10,000) यानि रू. 20,000] C के दिवालिया हो जाने के कारण रू. 40,000 की पूरी हानि का 1/2 अंश A, B से रू. 70,000 वसूल कर सकता है। {3 M}

Answer:

(b) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार मात्र मौन रहना कपट का लक्षण नहीं है। जो कि किसी व्यक्ति की ईच्छाओं को प्रभावित करता है। जब तक कि मौन रहना बोलने के समान न हो। {$1^{1/2}$ M}

इस प्रश्न में –

(a) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध है क्योंकि मौन रहना ऐसी स्थिति में जो किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करे कपट नहीं है। इसलिए विक्रेता दुष्परिणामों को बताने के लिए उत्तरदायी नहीं है। {$1^{1/2}$ M}

(b) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध नहीं होगा क्योंकि P का यह उत्तरदायित्व है कि घोडे की अस्वस्थता के बारे में Q को बताऐं क्योंकि उनके मध्य पिता पुत्री का वैश्वासिक सम्बन्ध है। यहां मौन रहना बोलने के समान है। इसलिए यह कपट होगा। {$1^{1/2}$ M}

(c) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध नहीं होगा यहां मौन रहना बोलने के समान है। इसलिए यह कपट होगा। {$1^{1/2}$ M}

Answer 6:

(a) कम्पनी नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार जब तक एक सदस्य कम्पनी को पंजीकृत हुए 2 वर्ष नहीं हो जाते तब तक वह अन्य किसी कम्पनी में परिवर्तित नहीं हो सकती सिवाय यदि कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रू. से ज्यादा हो जाये अथवा कम्पनी का टर्नओवर जो की औसत वार्षिक टर्नओवर होगा वो 2 करोड से ज्यादा हो जाये। {2 M}

दी गई समस्या में मि. अनिल ने एक एकल व्यक्ति कम्पनी 16 अप्रेल 2018 को बनाई है, और इसका वार्षिक आर्वत (Turnover) 2.25 करोड़ है, जबकि कम्पनी को बने हुए 2 साल का समय नहीं हुआ है परन्तु इसका वार्षिक औसत आर्वत (Turnover) 16 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में 2 करोड़ से ज्यादा है। मि. अनिल इसलिये इस कम्पनी को निजी कम्पनी में सुनील के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। {2 M}

Mittal Commerce Classes

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की **धारा 69** में यह प्रावधान है कि, ''जब एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में उसका हित है'', तो दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए दायी है और वह उसका भुगतान कर देता है तो वह दूसरे व्यक्ति से इसकी भरपाई करा सकता है। दिये गये प्रशन में W ने Z की कानूनी रूप से देय राशि का भुगतान किया जिसके भुगतान में उसका हित है। **{3 M}**

इसलिए W , Z से दी गई राशि की भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) फर्म के समापन व साझेदारी के समापन में अन्तरः–

क्र. स.	अन्तर का आधार	फर्म का समापन	साझेदारी का समापन
1	व्यवसाय का चलते रहना	यह साझेदारी में व्यवसाय के अवरूद्ध होने का समावेश करता है।	यह व्यवसाय के चलते रहने को प्रभावित नहीं करता। यह केवल फर्म के पुनर्गठन का ही समावेश करता है।
2	समापन	यह फर्म के समापन का समावेश करता है तथा सम्पत्तियों की वसूली तथा दायित्वों के निपटान की अपेक्षा करता है।	यह केवल पुनर्गठन का ही समावेश करता है तथा केवल फर्म के दायित्वों एवं सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की ही अपेक्षा करता है।
3	न्यायालय का आदेश	एक फर्म को न्यायालय के आदेश द्वारा समाप्त किया जा सकता है।	साझेदारी का समापन न्यायालय द्वारा इसका आदेश नहीं किया जा सकता है।
4	क्षेत्र	यह अनिवार्यतः साझेदारी के समापन का समावेश करता है।	यह फर्म के समापन का समावेश कर सकता है या नहीं कर सकता है।
5	पुस्तकों को अन्ततः बन्द करना	यह फर्म की पुस्तकों के अन्तिम बन्द होने का समावेश करता है।	यह पुस्तकों के अन्तिम बन्द किये जाने का समावेश नहीं करता।

{1 M for each 4 points}

Mittal Commerce Classes

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) Non-verbal communications such as body language and visual cues affect the quality of interaction among individuals or group. An individual's facial expressions, stances, gestures, touches, and other physical signals constitute body language of **{1 M}** communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture. **{1 M}**

Answer:

(b) **(i)** Glittering
(ii) Inconstancy
(iii) Varun said that Every Kid should learn coding.
{1 M Each}

Answer:

(c) **"Electronic Gadgets"-** Risky affair for youth. **{1 M}**

It is very common these days that people use electronic gadgets in every sphere of life. For the sake of listening music they overdo it and risk there life. There are some live examples. An electrician failed to repair the iron because of his earphones addiction. You may find many earphone addicts commute by the metro every day. We sported a duffel bag and the bomb scare lasted for several minutes. Suddenly a youth came and took his bag and he is totally unaware of the situation just because of his earphones addiction. {4 M}

Answer 8:

(a) (i) The possible reasons behind employees quitting the company after acquiring higher qualifications could be an unstable future and lack of growth in ABC Insurance Co. Ltd. {2 M}

(ii) Yes, there is a need to amend the policy of educational reimbursement. For ex: an employee shall at least serve the company for a minimum of three years after seeking such reimbursement. {1 M}

(iii) In order to overcome high employee attrition problem, employer should ensure the upgraded level of company. Employees should be provided with utmost growth and ensured satisfaction. {2 M}

Answer:

(b) (i) Recycling

1. **Meaning**
   - 1.1 Prcs. of reusing
   - 1.2 Imp. to recycle
     - 1.2.1 to save natural resources
2. **Waste recycling**
   - 2.1 Help to save energy
   - 2.2 Reduce pllutn.
   - 2.3 Imp for envt. & humans
3. **Plastic Material**
   - 3.1 Reduce Pollution
     - 3.1.1 Water Pollution
     - 3.1.2 Air Pollution
   - 3.2 Imp to have waste disposal system

{2 M}

Key Note –

1.	Prcs	-	Process
2.	Imp	-	Important
3.	Envt	-	Environment
4.	&	-	And
5.	Sysm	-	System

{1 M}

(ii) Summary :

Recycling is regarded as the process of reusing the items which are generally regarded as waste but are of great utility. It ensures the conservation of natural resources for future generation along with saving energy. Recycling of plastic material also helps in reducing air and water pollution. In short, we can say that recycling is the best way to have ecofriendly environment. {2 M}

Mittal Commerce Classes

Answer 9:

(a) **Listening for Understanding :** We are bombarded by noise and sound in all our waking hours. We 'hear' conversations, news, gossips and many other forms of speech all the time. However, most of it is not listened to carefully and therefore, not understood, partially understood or misunderstood. A good listener does not only listen to the spoken words, but observes carefully the nonverbal cues to understand the complete message. He/she absorbs the given information, processes it, understands its context and meaning and to form an accurate, reasoned, intelligent response. {1 M}

The listener has to be objective, practical and in control of his emotion. Often the understanding of a listener is colured by his own emotions, judgments, opinions, and reactions to what is being said. While listening for understanding, we focus on the individual and his agenda. A perceptive listener is able to satisfy a customer and suggest solutions as per the needs of the client. {1 M}

Answer:

(b) **(i)** The entire stretch of highway was cleaned by the crew.

(ii) The homeowners remodeled the house to help it sell.

(iii) Socrates said that virtue is its own reward.

{1 M Each}

Answer:

(c) **The Pros and cons of online education in India**

- By XYZ

Pros and Cons of Online Classes – The widespread outbreak of coronavirus has led to moving towards online classes by schools, colleges, coaching's, etc. Although online classes were already in place in many places, COVID-19 has paved a new way of teaching all over the country through online classes. Almost all schools, colleges, universities, etc. have now started online classes for the students so as to continue the studies in this time of pandemic. These online classes are being helpful for the teachers and students in completing the syllabus of the class which has not been possible in any other way. At present, both teachers and students have adopted this new model of education and are trying to get used to it with each passing day. But along with various advantages of online classes, there are some disadvantages too. Students are facing some difficulties in online classes like difficulty in clearing doubts properly, network issues and many more. Along with this, many still belive that online classes can never be an alternative to brick and mortar classes. Here, we have listed some of the pros and cons of online classes. Read the full article to know about all the pros and cons of online classes.

Pros of Online Classes

Following are the pros of online classes-

Study Anywhere – Online classes are available to a student sitting anywhere in the world provided he/she has a proper internet connection. So, if students are not in the city of their school or college then also they can avail the online classes easily. All they need to have is a working internet connection.

Elimination of travel time and Cost –

Online classes have eliminated the time and cost required to reach the school or college. In this way students are saving a lot of their precious time which they can utilize in any other productive work. Also, the cost incurred in daily travel to school and back to home has been totally eliminated with online classes.

Prevention of loss of studies – In this time of pandemic, online classes have come up as a boon for students. This is because if schools and colleges did not use online classes for studies, students would have wasted a lot of time in the session and it would have been really difficult to cover the entire course later. Through online classes, the session is going on at a similar pace as it would have been in offline classes.

{Any 5 points each 1 Mark}

Mittal Commerce Classes

Individualized study – Online classes provide an individualized study environment to a student where he/she can study alone. Many times, students become shyt in asking queries in front of the entire class but in online classes no one is around, so students can easily ask questions.
Moreover, this individualized study also prevents students from any kind of disturbance.

Monitoring by Parents – With the help of online classes, parents are also able to check and know what their children are studying, how teachers are teaching in the class. Also, they can also motivate their children to take up doubts. Basically, online classes also involve parents in the studies of students which was not the same in case of offline classes.

Introduction to new technologies – Online classes have introduced students to new technologies. They now know how to use a particular software through which the school is teaching or have knowledge about various other platforms which are being used for online classes. So, these classes are also making the students technologically advanced.

Cons of Online Classes

As online classes have emerged as the only solution for education during lockdown, there are many cons related to it. However these can be minimized with a little care.

Network Issues - One of the biggest problems of online classes is network issues. It has been seen students struggle a lot to connect to the session due to internet issues. Many times, teachers are not audible, not visible and much more. In such cases of network disruption, all the students start to talk at the same time which again creates another mess. So, network issues must be resolved for proper conduction of online classes.

Lacks One to One teaching - Online classes lack one to one teaching means these lack proper communication between students and teachers. Although students have the option to ask their queries in the online classes also but students find it difficult to get their doubts solved in a proper way. So many students are asking or putting their queries in the chat section that some are missed.

Continuous Use of Mobile/Laptop - One major concern of online classes is that students have to be on electronic devices like mobile phones, laptops or tablets continuously for 5-6 hours. This is not beneficial for students and will also cause health issues like eye strain to the students.

Requires Self-Discipline - In online classes, teachers are not able to monitor the students in the same way as offline classes, so these require a student to be self-disciplined. If a student is not disciplined, he/she may not pay attention to what the teacher is teaching in the class.

Proper utilization of online classes can lead to a new model of education involving online classes along with offline classes. But, proper care should be taken to minimize the cons of online classes.

Mittal Commerce Classes

Answer 10:

(a) Formal communication: Formal Communication, both oral and written, follows certain rules, principles and conventions in conveying the message,. The hierarchy in the organization has to be followed. Formal format, style and language have to be used. The communication pattern can be vertical, horizontal or diagonal. **{2 M}**

OR

Encoding is the process of turning thoughts into communication. The encoder uses a 'medium' to send the message – a phone call, email, text message, face-to-face meeting, or other communication tool. The level of conscious thought that goes into encoding messages may vary. **{2 M}**

Answer:

(b) **(i)** Brief

(ii) Mysterious

(iii) The angry mother jeered to her son if he supposed that he knew better than his own father.

{1 M Each}

Answer:

(c) **Project to interconnect rivers in India**

- By XYZ

New Delhi, 16 July. The interlinking of river project is a Civil Engineering project, which aims to connect Indian rivers through reservoirs and canals. The farmers will not have to depend on the monsoon for cultivation and also the excess or lack of water can be overcome during flood or drought. You will be surprised to know that India has approx four percent of the water available, and India's population is around 16 percent of the world's population. But every year, hundreds of millions of cubic cusec water flows into the ocean and India has to meet its needs with only 4 percent of the water.

Every project has two aspects, but we should focus on how much more people will get benefit from this project. This article is based on the interlinking of the river project, in which its history and the benefits of this project are explained.

What is the interlinking River project?

This project will connect 60 rivers of India, including river Ganga.

Hopefully, with the help of this project, there will be ad reduction in the dependence of farmers on uncertain monsoon rains and there will also be millions of cultivated land for irrigation. This project is divided into three parts: North Himalayan river link constituents; Southern Peninsular Component starting from 2005, Interstate interlinking of rivers. This project is being managed under the National Water Development Authority of India (NWDA), Ministry of Water Resources.

- This project can solve the problem of drought and flood because at the time of need the river which causes flood can give water to the area of the river which has a shortage of water because the water can be stored or water can be transferred from water surplus area to the deficit. Ganga and the Brahmaputra region can get rid of floods that come every year with the help of this project.
- The irrigation, land will also increase by about 15 percent.
- 15,000 km of river and 10,000 km of navigation will be developed. Thereby reducing the transportation cost.
- Large scale afforestation and about 3,000 tourist spots will be built.
- This project will solve the problems of drinking water and financially also will solve the problem.
- It is also possible to get jobs for landless farmers in rural areas.

Disadvantages of Interlinking River Project

There may be advantages as well as disadvantages of the project. Rivers are being considered an integral part of our life from the beginning, and any kind of human intervention can prove to be destructive. For the completion of the Interlinking River project, many big dams, canals, and reservoirs will have to be constructed due to which the surrounding land will become swampy and will not be suitable for agriculture. This can also reduce the production of food grains. Where or in which area to bring so much water, which canal is to be transferred, it is mandatory to study and research it adequately. The cost of this project in 2001 was Rs. 5,60,000 crore but in reality, there is a possibility that it will be more.

Taking the water of Ganga above the Vindhya towards Cauvery, will cost a lot more and for this, large diesel pumps will be used, more than 4.5 lakhs people will be

{Any 5 points each 1 Mark}

Mittal Commerce Classes

almost displaced, 79,292 forests will also be submerged in water. It can also be understood that without joining river the reality, there is a possibility that it will be more.

Taking the water of Ganga above the Vindhya towards Cauvery, will cost a lot more and for this, large diesel pumps will be used, more than 4.5 lakhs people will be almost displaced, 79,292 forests will also be submerged in water. It can also be understood that without joining rivers, the problem of flood and drought can be solved.

Answer 11:

(a) Wheel & Spoke Network :

This is an organization where there is a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him/her. All employees get instructions directly from the leader and report back to him/her. It is direct and efficient for a small business/company, but inappropriate way of communication in a {1 M} large organization with many people. A company with many employees needs more decision makers or nothing would get done. Can a large conglomerate like Reliance or Tata Sons have one person making decisions? Moreover, if the central figure is not competent, the entire business will suffer. {1 M}

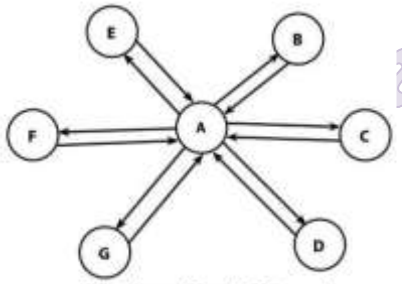

Wheel and Spoke Network

Answer:

(b) **(i)** To be a pioneer
(ii) Perplexed
(iii) Will a story be told by you?
(iv) Conflict

{1 M Each}

Answer:

(c) Letter informing about the postponement of interview date

Sender's address

Date

Receiver's designation

Receiver's address

Subject – Letter regarding the postponement of interview date

Dear Mr Bansal

This letter is to inform you that the interview that was scheduled with Mr. Gupta, CEO, ABC Company, has been postponed. The interview was planned to take place on 1 Oct, 2020 but this has changed. The meeting has been postponed to 15 Oct, 2020. The venue and the timing of the interview meeting however remains the same.

{2 M}

It has been postponed due to some unavoidable circumstances. In case of any other queries, you can either revert to the same letter or drop in an e-mail on our official email id.

We apologies for the inconvenience caused.

Thank you

Yours sincerely
Name of Sender
Designation of Sender

{2 M}

__**__

Mittal Commerce Classes